

# हज्ज और उम्मा की अनिवार्यता की शर्तें

[हिन्दी]

## شروط وجوب الحج والعمرة

[ اللغة الهندية ]

संकलन

सईद बिन अली बिन वत्फ अल-कस्तानी

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

(من كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة ص ١٢-١٨)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 - 2008

islamhouse.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

## हज्ज और उम्मा के अनिवार्य होने की शर्तें

हज्ज और उम्मा पाँच शर्तों<sup>१</sup> के पाए जाने पर अनिवार्य होता है :

**पहली शर्त** : इस्लाम ; क्योंकि अल्लाह तआला का फर्मान है :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

[सورة التوبة: २८]

“निःसन्देह मुशिरक लोग बिल्कुल ही अपवित्र हैं, अतः वो इस वर्ष के पश्चात मस्जिदे हराम के निकट भी न फटकने पाएँ।” (सूरतुत्तौबा : २८)

तथा इस लिए भी कि उनका हज्ज या उम्मा शुद्ध नहीं होगा, और यह असम्भव है कि जो चीज़ शुद्ध न हो, वह अनिवार्य हो।

तथा अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वह कहते हैं : “अबू बक्र सिदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस हज्ज में जिस में अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हज्जतुल-वदाअ से पहले अमीर नियुक्त किया था, मुझे उस जमाअत के साथ भेजा जो कुर्बानी (१० जुलहिज्जा) के दिन लोगों में ये एलान कर रहे थे कि इस साल के बाद कोई मुशिरक हज्ज न करे और न ही कोई आदमी नंगा हो कर खाना कअ्बा का तवाफ करे।”<sup>२</sup>

**दूसरी शर्त** : बुद्धि (अक़ल ), चुनाँचे पागल आदमी पर अन्य इबादतों के समान हज्ज और उम्मा भी अनिवार्य नहीं है यहाँ तक कि वह होश में आ जाए; क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

<sup>१</sup> देखिए : अल-मुग्नी लिब्ने कुदामा ५/६, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्मा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/११३।

<sup>२</sup> बुखारी फतहुल बारी के साथ ३/४८३, मुस्लिम -हदीस के शब्द मुस्लिम ही के हैं- २/६८२, और देखिए शरहुन्नववी ६/११५।

“तीन प्रकार के लोगों से कलम उठा लिया गया है : पागल बुद्धिहीन से यहाँ तक कि वह होश में आ जाए, सोने वाले आदमी से यहाँ तक कि वह जाग जाए, और बच्चे से यहाँ तक कि वह बालिग (व्यस्क) हो जाए।”<sup>1</sup>

**तीसरी शर्त** : बालिग होना ; चुनाँचे बच्चे पर हज्ज अनिवार्य नहीं है यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए; जैसाकि पिछली हदीस में गुज़रा।

लेकिन अगर बच्चा हज्ज करे, तो उसका हज्ज सहीह (शुद्ध) होगा, किन्तु यह हज्ज इस्लाम के हज्ज से किफायत नहीं करे गा; क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि एक महिला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर एक बच्चे को उठाकर पूछा : क्या इसका हज्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“हाँ, और तुम्हें इस का अज़्र मिलेगा।”<sup>2</sup>

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“जिस बच्चे ने भी हज्ज किया, फिर वह बालिग हुआ तो उस के ऊपर एक दूसरा हज्ज अनिवार्य है। तथा जिस गुलाम (दास) ने भी हज्ज किया फिर वह आज़ाद हो गया तो उस के ऊपर एक दूसरा हज्ज अनिवार्य है।”<sup>3</sup>

**चौथी शर्त** : सम्पूर्णतः आज़ाद होना; अतः गुलाम पर हज्ज अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वह हज्ज करे तो उसका हज्ज शुद्ध है, किन्तु वह इस्लाम के हज्ज से किफायत नहीं करे गा; क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की उपर्युक्त हदीस में फरमाया :

“... तथा जिस गुलाम (दास) ने भी हज्ज किया फिर वह आज़ाद हो गया तो उस के ऊपर एक दूसरा हज्ज अनिवार्य है।”

**पाँचवीं शर्त** : सामर्थ्य (इस्तिताअत); कुरआन और हदीस के स्पष्ट प्रमाण और समस्त मुसलमानों की सम्मत<sup>4</sup> के द्वारा हज्ज केवल उस व्यक्ति पर अनिवार्य है जो

<sup>1</sup> इसे अहले-सुनन, अहमद आदि ने रिवायत किया है, और अल्बानी ने सहीह कहा है। देखिए : इरवाउल-गलील २/४-७।

<sup>2</sup> मुस्लिम २/६७४, तथा साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा: “मुझे अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हज्ज कराया गया जबकि मेरी आयु ७ वर्ष थी।” बुखारी फ़तुलबारी के साथ ४/७१।

<sup>3</sup> शाफ़ेई, बैहकी, हाकिम इत्यादि, हाफिज़ इब्ने हज़्र ने फ़तुलबारी में कहा है कि : इसकी इस्नाद सहीह है ४/७१, और देखिए : इरवाउल-गलील ४/१५६

<sup>4</sup> शरहूल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/१२४।

इसकी इस्तिताअत् (सामर्थ्य) रखता है, किन्तु यदि असमर्थ व्यक्ति हज्ज करे तो उसका हज्ज (इस्लाम के हज्ज से) किफायत करे गा।<sup>1</sup>

**महिला के लिए एक अन्य विशिष्ट शर्त भी है :** और वह है महरम का होना; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

**“कोई आदमी किसी (परायी) महिला के साथ एकान्त (तन्हाई) में न हो सिवाय इसके कि उस (महिला) के साथ कोई महरम हो, तथा महिला बिना महरम के यात्रा न करे।”**

इस पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! मेरी पत्नी हज्ज के लिए निकली है और मैं ने फलाँ जंग में नाम लिखवा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

**“जाओ और अपनी पत्नी के साथ हज्ज करो।”<sup>2</sup>**

अतः महिला पर अनिवार्य नहीं है कि वह हज्ज के लिए यात्रा करे और न ही उस के लिए यात्रा करना जाईज़ है सिवाय इस के कि उसके साथ उसका पति या कोई महरम हो,<sup>3</sup> परन्तु अगर महिला बिना महरम के हज्ज कर लेती है तो उसका यह हज्ज उसकी अवज्ञा और नाफरमानी के साथ फर्ज़-हज्ज से किफायत करे गा और वह उस पर बड़ी गुनहगार होगी।<sup>4</sup>

जिस व्यक्ति के अन्दर सभी शर्तें पूरी हो गईं, उस के ऊपर तुरन्त हज्ज करना अनिवार्य है और उस के लिए उसे विलम्ब करना जाईज़ नहीं है; इसकी दलील इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि उन्होंने ने कहा कि : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

**“हज्ज करने में जल्दी करो; क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम कि उस के साथ क्या पेश आ जाए।”<sup>5</sup>**

उक्त हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जल्दी करने का आदेश दिया है और आदेश देना उस कार्य के अनिवार्य होने का तकाज़ा करता है।<sup>6</sup>

<sup>1</sup> इस्तिताअत का अर्थ देखिए : अज़वावुल बयान ५/७५-६८, अल-मुग्नी लिब्ने कुदामा ५/७-१४, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/१२४-१३०, अल-फतावा अल-इस्लामियह २/१८७।

<sup>2</sup> बुखारी फतुलुलबारी के साथ ६/१४३, मुस्लिम ३/६७८।

<sup>3</sup> शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/१७२।

<sup>4</sup> शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/१७२।

<sup>5</sup> अहमद १/१४, अबू दाऊद, इब्ने माजह, हाकिम, तथा हाकिम ने इसे सहीह कहा है और ज़हबी ने इसकी पुष्टि की है १/४४८, और अल्बानी ने इरवाउल-गलील ४/१६८, सहीह अबू दाऊद १/३२५ और सहीह अब्ने माजह २/१४७ में इसे हसन कहा है।

इसी लिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में साबित है कि उन्होंने ने फरमाया:

‘‘मैं ने इरादा किया इन नगरों में आदमियों को भेजूँ कि वो देखें कि जिस ने भी सामर्थ्य रखने के बावजूद हज्ज नहीं किया है उन पर जिज़्या (तावान) लगा दें, वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं।’’<sup>२</sup>

और एक रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं कि उन्होंने ने कहा :

वह यहूदी या ईसाई होकर मरे -उन्होंने ने इसे तीन बार कहा- जो आदमी मर गया और हज्ज नहीं किया, जबकि वह इसके लिए योग्यता पाता था और उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी।<sup>३</sup>

जब किसी व्यक्ति के अन्दर ये सभी शर्तें पाई जाएं तो उस पर हज्ज करना ज़रूरी हो जाता है।

★ अगर वह स्वयं हज्ज करने की शक्ति रखता है तो उसके ऊपर हज्ज करना अनिवार्य है।

★ और अगर वह स्वयं हज्ज करने से असमर्थ और बेबस है, तो इसकी दो अवस्थाएं हैं:

१. अगर उसे अपनी बेबसी और असमर्थता के समाप्त होने की आशा है, उदाहरण के तौर पर वह बीमार आदमी जिसकी बीमारी सामयिक और अस्थायी रूप से है, उस से स्वस्थ होने की आशा है, तो ऐसा आदमी हज्ज को विलम्ब कर दे गा यहाँ तक कि वह स्वयं हज्ज करने के योग्य हो जाए। अगर वह इस से पहले मर गया, तो उसके छोड़े हुए धन (वरासत) से उसकी ओर से हज्ज किया जाए गा और वह गुनहगार (दोषी) नहीं होगा।

२. और अगर वह आदमी जिस पर हज्ज अनिवार्य है स्थायी रूप से हज्ज करने से असमर्थ है जिसके समाप्त होने की उसे आशा नहीं है, जैसे वयो वृद्ध (बूढ़ा) आदमी, और वह बीमार जो बैठ चुका है और निराश हो चुका है, तथा वह आदमी जो सवारी पर बैठने की शक्ति नहीं रखता है,

---

<sup>१</sup> देखिए : शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/२०६, मज्मूअ् फतावा इब्ने बाज़ फिल हज्ज ५/२४३, अल-मुग्नी लिब्ने कुदामा ५/३६, अज़वाउल बयान ५/१२५।

<sup>२</sup> इसे सईद बिन मन्सूर ने अपनी सुनन में रिवायत किया है और इब्ने हज़्र ने अत्तल्खीसुल हबीर में मौकूफन सहीह कहा है (अर्थात् यह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है) २/२२३।

<sup>३</sup> इसे बैहकी ने अस्सुनन् अल-कुब्रा ४/३३४ में रिवायत किया है और इब्ने हज़्र ने अत्तल्खीसुल हबीर २/२२३ में मौकूफन सहीह कहा है।

तो ऐसा आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से हज्ज और उम्रा करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) बनाए गा।<sup>1</sup>

**अनुवादक**

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

[atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)

(देखिए : अल-हज्ज वल-उम्रा वज़ि़यारह फी ज़ौइल किताब वस्सुन्नह, लेखक : सईद बिन अली बिन वस्फ अल-क़स्तानी पृ० १२-१८)

(مأخوذ من كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه: سعيد بن علي بن وهف القحطاني ص: ١٢-١٨)

---

<sup>1</sup> देखिए : अज़वाउल बयान ५/६३,६८, अल-मुग्नी लिब्ने कद्युदामा ५/१६, २२, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/१८३, अल-मन्हज लि-मुरीदिल हज्ज वल-उम्रा लिब्ने उसैमीन पृ० ५२।